

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 41/2022

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. नवीन कुमार पुत्र मांगीलाल जाति  
जैन निवासी खेतेश्वर कॉलोनी  
महाबार रोड बाड़मेर (मैसर्स माँ कृपा  
ट्रेडिंग क0 जोगियों की दड़ी,  
बाड़मेर का मालिक)
2. दीपक कुमार जगदीश चन्द्र  
कानूडावाला प्रोप्राइटर ऑफ मैसर्स  
महावीर मिल्क प्रोडक्ट, शास्त्री  
बंगलो, पाटन हाईवे, डीसा (गुजरात)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य  
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री मुकेश जैन, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 28.06.2023



प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप  
धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,  
2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान  
मैसर्स माँ कृपा ट्रेडिंग क0 जोगियों की दड़ी, बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 06.12.2021  
को खाद्य पदार्थ घी (महावीर) जो 15 लीटर के 76 टिन में भरा हुआ था, को मिलावट  
का होने के शक पर नियमानुसार कुल 800 ग्राम वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना  
संख्या पी-1465 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के  
तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर  
करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी (महावीर) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक,  
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य  
सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (महावीर) का नमूना  
अवमानक (Substandard) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दी गई,  
जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रा

अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के 6वें संशोधन 2021 के गजट नोटिफिकेशन में उल्लेखित किया है कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला की जांच में Fatty acid contents for Ghee संबंधित प्रावधान गजट प्रकाशन की तिथि 01.07.2022 के 2 वर्ष की अवधि के पश्चात लागू होगा। लिहाजा उक्त आधारों पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जाकर निस्तारित किया जावे।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 17.12.2021 में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक (Substandard) पाया गया। प्रयोगशाला जांच में B.R. Reading at 40<sup>0</sup> C का मानक स्तर 40.0 से 43.5 के मुकाबले 43.7 एवं Test for foreign fat का मानक स्तर should be absent की तुलना में Foreign fat present (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of Ghee) पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के 6वें संशोधन 2021 के गजट नोटिफिकेशन में उल्लेखित किया है कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला की जांच में Fatty acid contents for Ghee संबंधित प्रावधान गजट प्रकाशन की तिथि 01.07.2022 के 2 वर्ष की अवधि के पश्चात लागू होगा। लिहाजा उक्त आधारों पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जाकर निस्तारित किया जावे। इस प्रकार अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त उल्लेखित विधिक प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर प्रयोज्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य




प्रदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रुपये 4,50,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।



आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर